

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक 160 /दो-6-4/2013

कोरबा, दिनांक 30-08-2024


इस जिला स्थापना में प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक 1813 / दो-06-04/2013 कोरबा दिनांक 12 जुलाई, 2023 के अनुपालन में भर्ती समिति कोरबा के द्वारा जारी प्रतीक्षा सूची में से वरियता क्रम के अनुसार आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (चौकीदार, वाटरमेन एवं स्वीपर) के रिक्त पद पर निम्नलिखित अभ्यर्थी को कलेक्टर कोरबा द्वारा समय-समय पर, निर्धारित वेतन प्रतिमाह की दर पर, निर्धारित शर्तों के अधीन उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया जाता है:-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम	पता	वर्ग जिसके विरुद्ध नियुक्ति की गई
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री श्याम कुमार पिता रामसाय	ग्राम रजगा, तहसील व जिला सक्ती (छ.ग.) पिन नं. 495689	ST

नियुक्ति की शर्तें:-

1. चयनित अभ्यर्थी को आवश्यक रूप से मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति-प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, रोजगार पंजीयन, अनुभव प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड एवं प्रत्येक दस्तावेज की एक-एक प्रति स्वप्रमाणित छायाप्रति कार्यभार ग्रहण करते समय कार्यालय में अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होगा ।
2. आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.06.2013 में संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा । (प्रारूप संलग्न)
3. चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा हेतु फीट (योग्य) है । यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा ।
4. चयनित अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म पूर्तिकर तीन प्रतियों में शपथपत्र सहित प्रस्तुत करना होगा । यदि चरित्र सत्यापन में सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी ।

5. किसी भी पक्ष के द्वारा एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकती है ।
6. सेवा में प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिए अनुमति नहीं दी जावेगी, तथा कार्यालय प्रमुख की अनुमति उपरांत ही उच्च शिक्षा हेतु आवेदन अथवा अध्ययन प्रारंभ की जा सकेगी ।
7. नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं की जावेगी ।
8. शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा नियुक्ति हेतु कोई तथ्य छुपाया जाना , पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के निरस्त कर दी जावेगी ।
9. चयनित अभ्यर्थी की पदस्थापना जिला स्थापना कोरबा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी भी न्यायालय या अनुभाग में की जा सकती है ।
10. चयनित अभ्यर्थी की कार्य, व्यवहार एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर अथवा अन्य कारणों से उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है ।
11. चयनित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा । यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा ।
12. यह नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जा रही है, साथ ही जिला न्यायालय कोरबा के वेबसाईट पर भी उपलब्ध की जा रही है । चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाईट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं ।
13. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की स्थापनाओं पर आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम , 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है , अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी ।

  
 (सत्येन्द्र कुमार साहू)  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कोरबा (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1219/दो-06-4/2013

कोरबा, दिनांक 28-08-2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा ।
2. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, कोरबा की ओर सूचनार्थ ।
3. लेखापाल / देयक लिपिक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. श्री श्याम कुमार पिता रामसाय, पता- ग्राम रजगा, तहसील व जिला सक्ती (छ.ग.) पिन नं. 495689 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।

  
(सत्येन्द्र कुमार साहू)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कोरबा (छ.ग.)